

संख्या: 1:05:138 :II :सीएस
दिनांक: 06.08.2025

National Stock Exchange of India Limited, Listing Department, Exchange Plaza, Bandra – Kurla Complex, Bandra (E) <u>MUMBAI – 400 051.</u> नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, लिस्टिंग विभाग, एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा – कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व) <u>मुंबई – 400 051.</u>	BSE Limited, Department of Corporate Services, Floor – 25, PJ Towers, Dalal Street, <u>MUMBAI – 400 001.</u> बीएसई लिमिटेड, कॉर्पोरेट सेवा विभाग, मंजिल – 25, पीजे टावर्स, दलाल स्ट्रीट, <u>मुंबई – 400 001.</u>
--	--

विषय: बोर्ड बैठक का परिणाम - सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 30 के अनुसार सूचना।

महोदया/महोदय,

दिनांक 30.07.2025 के हमारे पूर्व संचार के क्रम में , हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल ने आज अर्थात् 06.08.2025 को आयोजित अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पर विचार किया और उसे मंजूरी दी:

1. 30.06.2025 को समाप्त तिमाही के लिए असंपरीक्षित वित्तीय परिणाम (स्टैंडअलोन और समेकित)।

वैद्यनाथ द्वारा सीमित समीक्षा रिपोर्ट के साथ संलग्न देखें। अय्यर एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और मेहरा गोयल एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स।

2. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹10/- प्रत्येक के चुकता इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य पर प्रति इक्विटी शेयर (अर्थात् @ 37.00%) (टीडीएस की कटौती के अधीन) 3.70/- रुपये (केवल तीन रुपये और सत्तर पैसे) की दर से अंतरिम लाभांश की घोषणा।

इसके अलावा, यह सूचित किया जाता है कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अंतरिम लाभांश के भुगतान के लिए शेयरधारकों की पात्रता का पता लगाने के उद्देश्य से **18.08.2025 (सोमवार)** को 'रिकॉर्ड तिथि' के रूप में माना जाएगा।

उपर्युक्त अंतरिम लाभांश के भुगतान/प्रेषण की तिथि **05.09.2025** को या उससे पहले होगी।

यह भी उल्लेखनीय है कि आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, शेयरधारकों के हाथों में लाभांश आय कर योग्य है और कंपनी को लाभांश का भुगतान करते समय आयकर अधिनियम, 1961 में निर्धारित दरों पर स्रोत पर कर (टीडीएस) काटना आवश्यक है। हालाँकि, यदि कोई शेयरधारक चाहता है कि उसका कर कम दरों पर काटा जाए या आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार कोई कर नहीं काटा जाए, तो उसे वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पैन, फॉर्म 15G/15H और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रति निम्नलिखित लिंक पर जमा करनी चाहिए:
<https://ris.kfintech.com/form15/forms.aspx?q=0>

बोर्ड की बैठक सुबह 11:00 बजे शुरू हुई और पर समाप्त हुई।

यह आपकी जानकारी और रिकार्ड के लिए प्रस्तुत किया गया है।

धन्यवाद,

भवदीय,
कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(मनीष कुमार अग्रवाल)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
mk_agarwal@pfcindia.com